न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 30 / 2025

उनवान

1. गोपाल पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
2. जगदीश प्रसाद पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
3. राजकुमार पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
5. नन्दलाल यादव पुत्र श्री फूलचन्द
6. मनमोहन सिंह यादव पुत्र फूलचन्द
7. राकेश कुमार यादव पुत्र श्री फूलचन्द
8. रामप्यारी देवी पत्नी फूलचन्द
9. विनीता कुमारी पुत्री फूलचन्द
10. शान्ति देवी पुत्री फूलचन्द
11. सीमा देवी पुत्री फूलचन्द
12. मंगली देवी पत्नी बद्रीप्रसाद

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी तेजाजी वाली, उदावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. जीवण पुत्र गंगूराम
2. दामोदर पुत्र डालू

   जाति ब्राह्मण, निवासी पुरोहित जी का मौहल्ला चौपड बाजार, मनोहरपुर, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. उपपंजीयक अधिकारी, उपतहसील मनोहरपुर, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपतहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. पटवारी हल्का उदावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नवीन रास्ता चाहने हेतु अन्तर्गत राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 की धारा 251 क (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

निर्णय दिनांक :— 5/12/25

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा न0–2910 रकबा 0.25 हैक्टर, 2912 रकबा 0.05 हैक्ट कुल किता–2 रकबा 0.30 हैक्टर वाकै ग्राम बाडीगरो की ढाणी, पटवार हल्का उदावाला, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर स्थित है नकल जामबन्दी हाल स0–2074 से 2077 खाता स0–38 सलग्न प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त भूमि के प्रार्थीगण सं0–1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 1/8 भाग के प्रार्थीगण सं0–5 लगायत 11 प्रत्येक 1/28, 1/28 भाग के व प्रार्थी सं0–12, 1/4 भाग की खातेदार काश्तकार है व अपने अपने हिस्सो के अनुसार काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है जिससे प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है एव न ही वर्तमान में है। प्रार्थना पत्र की खण्ड सं0–1 में वर्णित प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि खसरा न0–2910 के पूर्वी तरफ व हाल खसरा नं0–2912 के उत्तरी तरफ हाल खसरा न0–2911 व खसरा न0–2911 के उत्तरी है तरफ हाल खसरा नं0–2915 स्थित है जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण स0–1, 2 के । नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी हाल सं0–2074 से 2077 खाता स0–40 संलग्न प्रार्थना पत्र है। हाल आराजी खसरा न0–2915 के पश्चिमी तरफ हाल आराजी खसरा न0–2918 गैरमुमकिन रास्ता ग्राम बाडीगरो की ढाणी स्थित है जिसकी खातेदारी राज्य सरकार के नाम दर्ज है उक्त आम रास्ता पूर्व से पश्चिमी तरफ स्थित हाल खसरा न0–854 गैर मुमकिन सडक ग्राम बावड़ी की ढाणी दिल्ली पथ जो उत्तर से दक्षिण जाता है पर मिलता है व खसरा न0–2915 गैर मुमकिन आबादी में दक्षिणी पश्चिमी तरफ तेजाजी महाराज, शकर, भगवान व कालेश देव का मन्दिर बना हुआ है तथा हाल खसरा नं0–2918 गैर मुमकिन रास्ता जो पश्चिम तरफ स्थित दिल्ली पथ खसरा नं0–854 है, उक्त पथ से पूर्व की तरफ हाल खसरा नं0–2915 की पूर्वी सीमा तक कटा हुआ है व हाल खसरा नं0–2918 की पूर्वी सीमा से हाल खसरा न०–2915 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे उक्त मन्दिरो तक ग्राम पंचायत द्वारा रोड बनाया हुआ है, जिसे संलग्न छायाप्रति नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से बिन्दू ए तक दर्शित किया है उक्त रास्ते से हाल खसरा न0–2915 की पश्चिमी सींव के सहारे दक्षिणी तरफ से उत्तरी पश्चिमी तरफ धुमते हुये उत्तर से दक्षिण हाल खसरा नं0–2915 की दक्षिणी सीमा से लगते हाल खसरा नं0–2911 की उत्तरी सीमा से पश्चिमी तरफ हाल खसरा नं0–2910 की पूर्वी उत्तरी सीमा तक जिसे लाल लाईन व बिन्दू बी से दर्शाया है प्रार्थीगण सदैव से आते जाते हैं व अपने वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली जीप व कृषि ससाधन लाते ले जाते है उक्त रास्ते को छाया प्रति नक्शा ट्रेस में लाल लाईन से दर्शाया है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थीगण हाल खसरा नं0–2918 गैर मुमकिन रास्ता से पूर्वी तरफ स्थित हाल खसरा न0–2915 की पश्चिमी सीमा पर बिन्दू ए तक ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

पंचायत द्वारा रास्ता बनाया हुआ है उक्त बिन्दू ए से बिन्दू बी तक 4 मीटर चौडा रास्ता से प्रार्थीगण आते जाते है उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आत्यतिक आवश्यकता है तथा यह भुमि सुविधा जनक उपयोग के लिये नही है व प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँच के लिये लघुतम व निकटतम स्थिति है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा कथित रास्ता जो हाल नक्शा ट्रेस छाया प्रति में लाल लाईन से बिन्दू ए से बिन्दू बी तक सीमाकित व प्रदर्शित किया है उक्त भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में अभिलिखित किया जाना व अप्रार्थीगण सं0–1, 2 के नाम अंकित उक्त भूमि के सम्बन्ध में दर्ज खातेदारी निवाधित किया जाना आवश्यक व न्याय सगत है जिसके लिये प्रार्थीगण उचित व न्याय संगत प्रतिकर सदाय करने को तैयार है। अप्रार्थी सं0–1 व 2 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किती अधिकार के प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ता में बाधा उत्पन्न करते है व रास्ता बन्द करना चाहते हे जिसकी उन्होने प्रार्थीगण को सात रोज पूर्व स्पष्ट धमकी दी, प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त कथित रास्ता की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज कराने व अप्रार्थीगण सं0–1, 2 के नाम दर्ज उक्त रास्ते की भूमि की खातेदारी समाप्त करवाने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण उससे इनकार हो गये बल्कि अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को अन्य दीगर को रहन विक्रय हस्तान्तरण करने व राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन करने व रास्ते में निर्माण कार्य कर रास्ता बन्द करने व प्रार्थीगण को रास्ते का उपयोग उपभोग नहीं करने व पुख्ता निर्माण कार्य कर रास्ता बन्द करने की धमकी दी इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरुद्धः आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया।

अन्त में निवेदन किया कि हाल नक्शा ट्रेस छायाप्रति में लाल लाईन से प्रस्तावित रास्ता बिन्दू ए से बिन्दू बी तक हाल खसरा नं0–2910 ग्राम बाडीगरो की ढाणी, तहसील–शाहपुरा की पूर्वी उत्तरी सीमा तक हाल खसरा नं0–2915, 2911 में से 4 मीटर चौडा रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखत किया जाकर उक्त भूमि की अप्रार्थीगगके नाम दर्ज खातेदारी निर्वाचित की जावे व उसका अमल दरामद हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में कराया जाने तत्पश्चात अप्रार्थीगण उनके नौकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट, वारिसान स्थानापन्नो आदि को सदैव के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त रास्ता पर प्रार्थीगण के आवागमन उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे व उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे एव न ही प्रस्तावित रास्ते को किसी भी प्रकार से बन्दनही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये एवं प्रार्थना–पत्र के संदर्भ में तहसीलदार शाहपुरा को रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुई। रजिस्टर्ड डाक से

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

तामील के 1 माह उपरान्त भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/रीडर/2025/2099 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत वकील प्रार्थी ने रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर कथन किया कि प्रार्थना–पत्र के अनुतोष खण्ड में उल्लेखित किया है कि हाल नक्शा ट्रेस छायाप्रति में लाल लाईन से प्रस्तावित रास्ता बिन्दू ए से बिन्दू बी तक हाल खसरा नंबर 2910 ग्राम बाडीगरों की ढाणी, तहसील–शाहपुरा की पूर्वी उत्तरी सीमा तक हाल खसरा नंबर 2915, 2911 में से आवागमन हेतु रास्ते का अनुतोष चाहा गया है, जो की तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 भी प्रस्तावित किया है, जो अन्य खातेदारान् की जोत से होकर गुजरता है एवं उक्त खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 के खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाये जाने से एवं इनसे प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहने से उक्त प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 प्रार्थी को नहीं दिया जाकर बल्कि प्रार्थना–पत्र के अनुतोष खण्ड में वर्णित अनुतोष अनुसार तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 है, जो प्रार्थी के आवागमन एवं सुगमता हेतु पर्याप्त है। अतः प्रार्थी को तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थी के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क के तहत पेश किया गया है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में 2 रास्ते प्रस्तावित किये गये है। प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 के खातेदारान् को प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं प्रार्थी/वकील प्रार्थी ने प्रस्तावित रास्ता संख्या 2 के खातेदारान से कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं उक्त रास्ते हेतु वकील प्रार्थी ने असहमति जताई है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुतोष अनुसार तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 दर्शाया गया है, जो प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग हेतु सुगम एवं सरल रास्ता है, इसके अलावा इस रास्ते में मंदिर तक ग्राम पंचायत के द्वारा सीमेंट सीसी सड़क निर्माण किया हुआ है इसलिए यह रास्ता जो प्रस्तावित संख्या 1 है, प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित है। वकील प्रार्थी ने प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 हेतु सहमति दी है। अतः प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 प्रार्थीगण के आवागमन हेतु सरल एवं सुगम रास्ता होने से प्रार्थीगण का

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 दिया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी जोत आराजी खसरा नंबर 2910 तक आने जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता संख्या 1 दिया जाता है। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान